न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 94/2021
योगेश कुमार कृषिणया, वरिष्ठ सहायक (निलम्बित), पता जी–272, न्यू कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी आवास, परमवीर पीरूसिंह स्कूल के पीछे, झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 08.07.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.06.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 94/2021 पर दिनांक 21.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1732–33 दिनांक 21.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/1434 दिनांक 29.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी योगेश कुमार कृषिणया, वरिष्ठ सहायक (निलम्बित), पता जी–272, न्यू कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी आवास, परमवीर पीरूसिंह स्कूल के पीछे, झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 26.03.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/106 दिनांक 01.04.2021 द्वारा स्थापना अनुभाग को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया। स्थापना अनुभाग ने पत्र कमांक 362 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए इस कार्यालय को अवगत करवाया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के इस कार्यालय के पत्र कमांक 921 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

(12)

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/20/1434 दिनांक 29.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी योगेश कुमार कृष्णिया, वरिष्ठ सहायक (निलम्बित), पता जी–272, न्यू कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी आवास, परमवीर पीरूसिंह स्कूल के पीछे, झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 26.03.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/106 दिनांक 01.04.2021 द्वारा स्थापना अनुभाग को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया। स्थापना अनुभाग ने पत्र क्रमांक 362 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए उनके कार्यालय को अवगत करवाया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 921 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अभियोजन चलाने से संबंधित है एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विशिष्ट श्रेणी (Specific Catagory) की नही है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1)(ज) के अनुसार ऐसी सूचना जो अपराधियों के अन्वेषण या पकडे जाने या अभियोजन की प्रक्रिया मे अडचन डालती हो नही दी जा सकती है।** अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं